

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 7/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
दोला पिता पाला मीणा निवासी पायरो का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
-वादी

बनाम

- 1- तुलसीराम पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- देवली बाई पत्नी हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- नरेश पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- नारायणलाल पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भेरूलाल पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा पायरो का खेड़ा पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1 - दोला पिता पाला मीणा सा. देह खातेदार

| आ. नं. | रकबा |
|--------------|-------------|
| 9/2 | 0.16 |
| 7/1 | 0.18 |
| 7/3 | 0.48 |
| कुल 3 | 0.82 |

2 - तुलसीराम 1/5 नरेश 1/5 नारायणलाल 1/5 भेरूलाल 1/5 पिता हिरा देवलीबाई पत्नी हीरा 1/5 मीणा सा. देह खातेदार रहन जी.एस.एस. बांसी

| आ. नं. | रकबा |
|--------------|-------------|
| 9/1 | 0.48 |
| 7/2 | 0.34 |
| कुल 2 | 0.82 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक : 24/02/2026

क्रमांक : राजस्व/2026/20



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस. , सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 7/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
दोला पिता पाला मीणा निवारी पायरो का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

बनाम

- 1- तुलसीराम पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- देवली बाई पत्नी हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- नरेश पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- नारायणलाल पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भैरूलाल पिता हीरा मीणा नि. पायरो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा पायरो का खेड़ा पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1 - दोला पिता पाला मीणा सा. देह खातेदार

| आ. नं. | रकबा |
|--------------|-------------|
| 9/2 | 0.16 |
| 7/1 | 0.18 |
| 7/3 | 0.48 |
| कुल 3 | 0.82 |


2 - तुलसीराम 1/5 नरेश 1/5 नारायणलाल 1/5 भैरूलाल 1/5 पिता हिरा देवलीबाई पत्नी हीरा 1/5 मीणा सा. देह खातेदार रहन जी.एस.एस. बांसी

| आ. नं. | रकबा |
|--------------|-------------|
| 9/1 | 0.48 |
| 7/2 | 0.34 |
| कुल 2 | 0.82 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को सरे ईजलास में सुनाया गया।




रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी